

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

दावा संख्या

:-25/2019

उनवान

1. हनुमान सहाय पुत्र बंशीधर अग्रवाल
2. अर्चना अग्रवाल पत्नी हनुमान सहाय अग्रवाल
समस्त जाति महाजन नि. न्यू कालोनी, शाहपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. पुरुषोत्तम खण्डेलवाल पुत्र रामकरण खण्डेलवाल न0 शाहपुरा जिला जयपुर।
2. चन्दन कुमार पुत्र पुरुषोत्तम खण्डेलवाल नि0 शाहपुरा जिला जयपुर।
3. सुनिल कुमार पुत्र कल्याण सहाय आसीवाल नि. साईवाड तह. शाहपुरा जिला जयपुर।
4. धमेन्द्र कुमार पुत्र कल्याण सहाय आसीवाल नि. साईवाड तह. शाहपुरा जिला जयपुर।
5. उपपंजीयक शाहपुरा तह. शाहपुरा जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

5. गैन्दालाल } पि0 छोटू जाति गुर्जर नि. शाहपुरा जिला जयपुर।
6. रामचन्द्र }

दावा बाबत घोषणा बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

अतः वादीगण का दावा बरुथे राजीनामा स्वीकार किया जाकर इस आदेश के साथ डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादीगण सं. 1 लगा0 4 वादिया सं. 2 की रिकार्ड्ड खातेदारी ख.नं. 550/7 रकबा 0.58 है0 वाके ग्राम साईवाड तहसील शाहपुरा में हमेशा-हमेशा के लिए जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे किराी भी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करे तथा एक-दूसरे की अभिलिखित खातेदारी भूमि में वादीगण/प्रतिवादीगण दखलान्दाजी करने से मगनू व बाज रहे। तदानुसार डिक्री मुर्तिव हो। पत्रावली में प्रस्तुत राजीनामा उक्त निर्णय का जुज रहे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज तारीख 14.10.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।



उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा तहसील जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प फ़ीडर की फीस	
4. रूपये पर फ़ीडर की फ़ीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह - व्यय 6. कमिश्नर की फ़ीस 7. आदेशिका की तागिल		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तागिल कमिश्नर की फ़ीस	
जोड़		जोड़	

